बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

संचिका संख्या : 09/साई०यो० 77/2012..782 पटना, दिनांकः- 18/12/12 **राज्य के प्रारम्भिक एवं माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक विद्यालयों में छात्रवृति, पोशाक, साइकिल योजना (वर्ष 2012-13) के तहत पारदर्शिता के साथ सीधा कैश-ट्रान्सफर वितरण कार्यक्रम के संबंध में।**

संयुक्त आदेश

शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं यथा मुख्यमंत्री पोशाक योजना, मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, मुख्यमंत्री बालक साइकिल योजना, मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना एवं बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना के तहत विद्यालय स्तर पर लाभार्थियों को राशि दिये जाने का प्रावधान है।

2. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा प्राथमिक विद्यालय से माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय तक के चिन्हित छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन राशि का वितरण पंचायत/प्रखंड/जिला स्तर पर किया जाता है।

3. राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि वर्ष 2012-13 से छात्रवृति एवं प्रोत्साहन की राशि को भी विद्यालय स्तर पर ही शिक्षा विभाग द्वारा संचालित अन्य योजनाओं के साथ ही कैम्प लगाकर सीधा छात्र/छात्राओं को कैश ट्रान्सफर किया जायेगा।

4. वर्तमान वित्तीय वर्ष में यह वितरण कार्यक्रम दिनांक 15.01.2013 से 30.01.2013 के बीच अभियान चलाकर सभी विद्यालयों में यथा संभव बिहार विधान मंडल एवं संसद सदस्यों, जिला परिषद् के अध्यक्ष एवं सदस्यों, नगर निकाय के अध्यक्ष एवं सदस्यों, पंचायत समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों (सामाजिक न्याय समिति के सदस्यों सहित), ग्राम पंचायत के मुखिया एवं सदस्यों, अन्य जन प्रतिनिधियों (सामाजिक न्याया समिति के सदस्यों सहित), विद्यालय शिक्षा समिति/विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों, छात्र-छात्राओं के माता-पिता /अभिभावक एवं शिक्षकों की उपस्थिति में की जाएगी । विद्यालय स्तर पर आहूत होने वाले उक्त कार्यक्रम में ही ***शिक्षा का हक अभियान*** का समापन किया जायेगा।

5. वितरण से पूर्व, अप्रैल से सितम्बर 2012 की अवधि में 75% छात्रोपस्थिति के आधार पर मुख्यमंत्री पोशाक योजना, मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, मुख्यमंत्री बालक साइकिल योजना एवं बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना विद्यालयवार लाभान्वित होने वाले छात्र-छात्राओं एवं बैंक संबंधित विवरण की सूचना मान्यता प्राप्त अराजकीय अल्पसंख्यक माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों, अनुदानित प्रस्वीकृत/संस्कृत/मदरसा एवं अनुदानित वित्त रहित स्थापना अनुमति प्राप्त माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों एवं अंगीभूत/संबद्धता प्राप्त इंटर महाविद्यालयों प्रधानाध्यापक/प्राचार्य द्वारा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से निम्न प्रपत्र "क" में Soft एवं hard copy में दिनांक 30.12.2012 तक जिला शिक्षा पदाधिकारी को उपलब्ध करा दी जाय। साथ ही उक्त समय-सीमा के अन्तर्गत प्रपत्र "ख" में सूचना विद्यालय स्तर पर संधारित की जायेगी।

प्रपत्र –"क"

क्र०	विद्यालय का नाम	विद्यालय शिक्षा समिति / विद्यालय प्रबंधन समिति का खाता संख्या	कक्षा	बैंक एवं शाखा का नाम	बैंक का IFSC Code	कोटि (GEN/BC /EBC/SC/ ST)	छात्र की संख्या	छात्राओं की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9

प्रपत्र –"ख"

क्रमांक	विद्यालय का नाम	कक्षा	कोटि (GEN/BC /EBC/SC/ ST)	छात्र / छात्राओं का नाम
1	2	3	4	5

6. इसी प्रकार, वितरण से पूर्व, अप्रैल से सितम्बर 2012 की अवधि में 75% छात्रोपस्थिति के आधार पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति कल्याण विभाग तथा पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा प्राथमिक विद्यालय से माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालय तक के चिन्हित छात्र / छात्राओं को यथा स्थिति छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन राशि के वितरण हेतु संबंधित विभाग के निर्दिष्ट प्रपत्र (प्रति संलग्न) में प्रधानाध्यापक / प्राचार्य द्वारा प्रविष्टि भरा जायेगा तथा यथा स्थिति सामाजिक न्याय समिति के अध्यक्ष के अनुमोदन के पश्चात उसे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से दिनांक 30.12.2012 तक जिला कल्याण पदाधिकारी को उपलब्ध कराते हुए इसकी सूचना जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी दी जायेगी।

7. वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के द्वारा चिह्नित छात्र / छात्राओं की सूची पूर्व में ही विद्यालय से प्राप्त कर लिया गया है। इसके आधार पर संबंधित छात्र / छात्राओं को छात्रवृत्ति की राशि चेक के माध्यम से जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा वितरित कराया जाना है। उक्त वितरण भी इसी कैम्प में निर्धारित अवधि में विद्यालय स्तर पर कराने की जवाबदेही जिला कल्याण पदाधिकारी की होगी। इस हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी से आवश्यक समन्वय अपेक्षित होगा।

8. Pre-Receipt का संधारण करते हुए Vouched Drawal कर राशि की निकासी यथा निर्देशित (स्वीकृत्यादेश के अनुसार) सक्षम स्तर पर करने के उपरांत राशि को सीधे विद्यालय के में निर्दिष्ट बैंक खाता में बैंक अंतरण के माध्यम से हस्तानांतरित करा दी जायेगी। AC Drawl प्रतिबंधित होगा।

9. संबंधित **जिला पदाधिकारी** उक्त निर्धारित अवधि में विद्यालयवार वितरण कार्यक्रम तैयार कराकर उसका प्रचार–प्रसार विभिन्न माध्यमों यथा समाचार पत्र, इन्टरनेट (Website) आदि के द्वारा कराना सुनिश्चित करेंगे।

संबंधित विद्यालय के प्राचार्य / प्रधानाध्यापक / प्रभारी प्राचार्य / प्रभारी प्रधानाध्यापक / प्रधान शिक्षक का यह दायित्व होगा कि जन प्रतिनिधियों (सामाजिक न्याय समिति के सदस्यों सहित), विद्यालय शिक्षा समिति / विद्यालय प्रबंधन समिति एवं छात्रों के माता–पिता / अभिभावक को औपचारिक रूप से वितरण कार्यक्रम में सम्मिलित होने हेतु आमंत्रित करना सुनिश्चित करेंगे।

10. शिक्षा विभाग, जिला/प्रखंड प्रशासन के पदाधिकारियों के साथ जिला कल्याण पदाधिकारी एवं प्रखंड कल्याण पदाधिकारी द्वारा शिविरों का भ्रमण कर छात्रवृत्ति वितरण व्यवस्था का अनुश्रवण करेंगे। इस हेतु **जिला पदाधिकारी** द्वारा जिलादेश निर्गत किया जाएगा । छात्रवृत्ति वितरण के 15 दिनों के अन्तर्गत B.E.O के माध्यम से प्रखंडवार उपयोगिता प्रमाणपत्र संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।

11. वितरण के दिन संबंधित प्राचार्य/प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक Disbursement Register में लाभान्वितों का हस्ताक्षर लेने के साथ ही विद्यालय शिक्षा समिति/विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों तथा जन प्रतिनिधियों (सामाजिक न्याय समिति के सदस्यों सहित) से उसे अवलोकित करायेंगे ताकि वित्तीय अंकेक्षण के साथ–साथ सामाजिक अंकेक्षण भी सुनिश्चित हो सके। ***वितरण के क्रम में संबंधित विद्यालय प्रधान यह सुनिश्चित करेंगे कि एक छात्र/छात्रा किसी एक ही प्रोत्साहन योजना से अच्छादित हो अर्थात*** Duplication ***नहीं हों।*** इस वितरण कार्यक्रम का **विडियोग्राफी** कराया जाना अनिवार्य होगा। इस हेतु **जिला पदाधिकारी**–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा निर्देशित निर्वाचन के अनुमोदित दर पर विडियोग्राफर की व्यवस्था विद्यालय स्तर पर किया जायेगा। इस राशि का भुगतान प्राथमिक/मध्य विद्यालय को प्रदत्त विद्यालय विकास अनुदान एवं माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उपलब्ध विकास कोष की राशि से की जायेगी। चूंकि विद्यालय स्तर पर समेकित रूप से वितरण कार्यक्रम संचालित होगा, इसलिए विधि व्यवस्था को चूस्त दुरूस्त रखने की जिम्मेवारी **जिला पदाधिकारी** एवं पुलिस अधीक्षक की संयुक्त रूप से होगी।

12. वितरण कार्यक्रम से संबंधित विस्तृत मार्गदर्शिका संलग्न है। यहाँ यह भी अंकनीय है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा प्रोत्साहन की राशि के वितरण की प्रक्रिया पूर्व से ही संचालित है। इस क्रम में सभी संबंधितों को निदेश दिया जाता है कि उक्त मद की राशि जिसका वितरण अभी शेष हो, का वितरण भी उक्त निर्धारित अवधि में कैम्प के माध्यम से करना सुनिश्चित करेंगे।

जिला स्तर पर संबंधित विभागों के पदाधिकारियों की बैठक **जिला पदाधिकारी** की अध्यक्षता में आहूत कर जिला स्तर पर कार्यान्वयन की रूप रेखा तैयार कर ली जाय।

अनु0:–यथोक्त।

17.12.12
(रवि परमार)
सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सह पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

17.12.12
(आमीर सुबहानी)
प्रधान सचिव,
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

17/12/12
(अमरजीत सिन्हा)
प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग

ज्ञापांक :–09/साई०यो० 77/2012...782 पटना, दिनांक:– 18/12/12

प्रतिलिपि:– राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, पटना/राज्य परियोजना निदेशक, बिहार माध्यमिक शिक्षा परिषद, पटना/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/सभी **जिला पदाधिकारी**/पुलिस अधीक्षक/क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

30

17/12/12
प्रधान सचिव,
शिक्षा विभाग।

राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 में राजकीय / राजकीयकृत / सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंभिक विद्यालय के वर्ग I-VIII में नामांकित छात्र–छात्राओं को स्कूल यूनिफॉर्म तथा अन्य शैक्षणिक सामग्री के क्रय हेतु ''मुख्यमंत्री पोशाक योजना''

एवं ''मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना'' के अन्तर्गत राशि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग।

- वित्तीय वर्ष 2012–13 में राजकीय / राजकीयकृत / सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंभिक विद्यालय के वर्ग I-VIII में नामांकित 2,03,40,261 छात्र / छात्राओं को पोशाक उपलब्ध कराया जाना है, जिसमें सर्व शिक्षा अभियान योजना अंतर्गत 1,71,72,840 छात्र / छात्राओं को 400 / – की दर से पोशाक उपलब्ध कराया जा रहा है। शेष 31,67,421 छात्र / छात्राओं को (वर्ग I-II को 400 / – की दर से एवं सर्व शिक्षा अभियान योजना के अंतर्गत दी जाने वाली राशि का Top up 100 / 300 की दर से राशि) कुल 36036.86 लाख (तीन अरब साठ करोड़ छत्तीस लाख छियासी हजार रूपये) राज्य सरकार द्वारा पोशाक उपलब्ध कराने के लिए दिया जा रहा है।

- **इस प्रकार राजकीय / राजकीयकृत / सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंभिक विद्यालय के वर्ग I-VIII तक के छात्र / छात्राओं को निम्नांकित दर से राशि उपलब्ध करायी जायेगी :–**

  - कक्षा 1 एवं 2 के सभी बच्चों को 400 / – प्रति वर्ष ।
  - कक्षा 3 से 5 के सभी बच्चों को 500 / – प्रति वर्ष ।
  - कक्षा 6 से 8 के सभी बच्चों को 700 / – प्रति वर्ष ।

- स्वीकृत राशि निदेशक, प्राथमिक शिक्षा के निस्ताराधीन होगी तथा इसकी निकासी अवर सचिव –सह–निकासी एवं व्यय पदाधिकारी, प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग द्वारा नया सचिवालय, विकास भवन कोषागार से की जायेगी। तदुपरान्त उक्त राशि बैंक ड्रॉफ्ट के माध्यम से राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना को उपलब्ध कराया जायेगा।

- बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना के द्वारा उक्त राशि का व्यय राज्य सरकार एवं सर्व शिक्षा अभियान योजना के अंतर्गत दिये गये निर्देश के आलोक में किया जायेगा। इस हेतु बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना समेकित रूप से जिलावार राशि को सर्व शिक्षा अभियान के खाता में बैंक अंतरण के माध्यम से उपलब्ध करायेंगे। संबंधित जिला कार्यालय उक्त राशि को आवश्यकतानुसार संबंधित विद्यालयों को उपलब्ध कराते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र विद्यालय शिक्षा समिति से प्राप्त करेंगे। तदुपरान्त बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना द्वारा व्यय की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र समेकित रूप से निदेशक (प्राथमिक शिक्षा) को उपलब्ध कराया जायेगा।

मुख्यमंत्री बालका/बालिका साईकिल योजना

- इस योजनान्तर्गत राजकीय/राजकीयकृत (नव उत्क्रमित विद्यालय सहित)/प्रोजेक्ट माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों/मान्यता प्राप्त अराजकीय अल्पसंख्यक माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों/अनुदानित अराजकीय प्रस्वीकृत मदरसा/संस्कृत एवं वित्त रहित माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के वर्ग IX में नियमितरूप से अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को साईकिल क्रय हेतु 2,500/–(दो हजार पाँच सौ) रुपये नगद भुगतान किया जाता है।
- राशि का वितरण विद्यालय में औसतन न्युनतम 75% उपस्थिति वाले छात्र/छात्राओं को ही किया जाना है।
- जिला शिक्षा पदाधिकारी से प्राप्त माँग पत्र के आधार पर संगत शीर्ष में राशि का आवंटन विशेष सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना द्वारा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी लेखा एवं योजना को किया जाता है।
- जिला शिक्षा पदाधिकारी राजकीय/राजकीयकृत (नव उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय साहित) एवं प्रोजेक्ट माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्राचार्य/प्रधानाध्यापक को राशि उपावंटित की जाती है।
- मान्यता प्राप्त अराजकीय अल्पसंख्यक माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों, अनुदानित प्रस्वीकृत/संस्कृत/मदरसा एवं अनुदानित वित्त रहित स्थापना अनुमति प्राप्त माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के छात्र/छात्राओं की संख्या एवं प्राप्त पूर्व प्राप्ति रसीद संबंधित प्राचार्य/प्राधानाध्यापक से प्राप्त कर राशि की निकासी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी योजना एवं लेखा द्वारा किया जाता है।
- जिला कार्यक्रम पदाधिकारी लेखा एवं योजना द्वारा राशि निकासी कर बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से संबंधित विद्यालय प्रबंध समिति के सचिव को उपलब्ध करायें जो विद्यालय के योग्य छात्र/छात्राओं के बीच राशि का वितरण करें।
- राशि की निकासी BTC Form-43 पर संगत शीर्ष से आवंटित राशि से की जायेगी।
- राशि का आवंटन अनुसूचित जाति/जन जाति छात्रों, अनुसूचित जाति/जन जाति को छोड़कर अन्य छात्रों, अनुसूचित जाति/जन जाति छात्राओं तथा अनुसूचित जाति/जन जाति को छोड़कर अन्य छात्राओं के लिए अलग–अलग शीर्ष में राशि आवंटित की जाती है।
- राशि की निकासी छात्र/छात्राओं से पूर्व प्राप्ति रसीद प्राप्त कर तत्संबंधी वचनबद्धता अंकित करते हुए पूरी राशि का पूर्व प्राप्ति रसीद यथास्थिति

प्रधानाध्यापक / जिला कार्यक्रम पदाधिकारी लेखा एवं योजना द्वारा विपत्र के साथ संलग्न किया जायेगा।

- राशि का वितरण विद्यालय में शिविर आयोजित कर किया जाना है। शिविर आयोजन की तिथि का व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जाना है। शिविर का आयोजन विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा किया जायेगा।
- शिविर में पंचायती राज संस्थाओं के सदस्य, विधान मंडल सदस्य, लोक सभा सदस्य एवं विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों को आमंत्रित किया जाना है।
- राशि वितरण के पूर्व एक भुगतान पंजी (Disbursement Regester) संधारित किया जायगा जिसम लाभांवितों की सूची यथा छात्र / छात्रा का नाम, माता / पिता का नाम, दी जाने वाली राशि एवं प्राप्ति स्तम्भ की एक पंजी तैयार की जायेगी। राशि वितरण के समय राशि भुगतान के तुरन्त बाद प्राप्ति रसीद प्राप्त की जायेगी। इस पंजी को संबंधित प्रधानाध्यापक अंकेक्षण आदि कार्य हेतु सुरक्षित रखेंगे।
- राशि वितरण कार्यक्रम की विडियोग्राफी करायी जायेगी। विडियोग्राफी इस प्रकार करायी जायेगी जिससे शिविर में उपस्थित जनप्रतिनिधि, सरकारी पदाधिकारी की जानकारी प्राप्त हो सके। साथ ही प्रत्येक छात्र / छात्राओं को राशि भुगतान का विडियोग्राफी कराया जाायेगा।
- इस राशि से छात्र / छात्राओं द्वारा अपने मनोकुल ISO/ISI मार्का के साईकिल का क्रय किया जाना है।
- साईकिल पर यथास्थिति मुख्यमंत्री बालक / बालिका साईकिल योजना अंकित किया जाना है।
- किसी अन्य योजना के अन्तर्गत जिन छात्र / छात्राओं को साईकिल उपलब्ध करायी गयी है वैसे छात्र / छात्राओं को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाना है। संबंधित छात्र / छात्राओं के माता–पिता से इस आश्य का घोषणा पत्र प्राप्त किया जाना है।
- योजना का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन जिला स्तर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा राज्य स्तर पर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) के द्वारा किया जाना है।
- वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए स्वीकृत्यादेश 9 / साई०यो०–55 / 2012–41 दिनांक 03.10.12 के द्वारा निर्गत किया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2012–13 के आवंटनादेश ज्ञापांक 05 / बी०2–98 / 2012 / 191 दिनांक 29.11.12, ज्ञापांक 05 / बी०2–98 / 2012 / 194 दिनांक 29.11.12, ज्ञापांक 05 / बी०2–98 / 2012 / 192 दिनांक 29.11.12 एंव ज्ञापांक 05 / बी०2–98 / 2012 / 193 दिनांक 29.11.12 द्वारा निर्गत है।

मुख्यमंत्री बिहार शताब्दी बालिका पोशाक योजना

- इस योजनान्तर्गत राजकीय/राजकीयकृत (नव उत्क्रमित विद्यालय सहित)/प्रोजेक्ट माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों/मान्यता प्राप्त अराजकीय अल्पसंख्यक माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों/अनुदानित अराजकीय प्रस्वीकृत मदरसा/संस्कृत एवं वित्त रहित माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों/अंगीभूत/संबद्धता प्राप्त इंटर महाविद्यालयों में वर्ग IX, X, XI & XII में नियमितरूप से अध्ययनरत छात्राओं को पोशाक क्रय हेतु 1,000/–(एक हजार) रुपये नगद भुगतान किया जाता है।
- राशि का वितरण माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों एवं इंटर महाविद्यालयों में औसतन न्युनतम 75% उपस्थिति वाले छात्राओं को ही किया जाना है।
- जिला शिक्षा पदाधिकारी से प्राप्त माँग पत्र के आधार पर संगत शीर्ष में राशि का आवंटन विशेष सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना द्वारा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी लेखा एवं योजना को किया जाता है।
- जिला शिक्षा पदाधिकारी राजकीय/राजकीयकृत (नव उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय साहित) एवं प्रोजेक्ट माध्यमिक/उच्च विद्यालयों के प्राचार्य/प्रधानाध्यापक को राशि उपावंटित की जाती है।
- मान्यता प्राप्त अराजकीय अल्पसंख्यक माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों, अनुदानित प्रस्वीकृत/संस्कृत/मदरसा एवं अनुदानित वित्त रहित स्थापना अनुमति प्राप्त माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों एवं अंगीभूत/संबद्धता प्राप्त इंटर महाविद्यालयों के छात्राओं की संख्या एवं प्राप्त पूर्व प्राप्ति रसीद संबंधित प्राचार्य/प्राधानाध्यापक से प्राप्त कर राशि की निकासी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी लेखा एवं योजना द्वारा किया जाता है।
- जिला कार्यक्रम पदाधिकारी लेखा एवं योजना द्वारा राशि निकासी कर बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से संबंधित विद्यालय प्रबंध समिति के सचिव को उपलब्ध करायें जो विद्यालय के योग्य छात्राओं के बीच राशि का वितरण करें।
- राशि की निकासी BTC Form-43 पर संगत शीर्ष से आवंटित राशि से की जायेगी।
- राशि का आवंटन वर्ग IX एवं X तथा वर्ग XI एवं XII के लिए अलग–अलग शीर्ष में राशि आवंटित की जाती है।
- राशि की निकासी छात्राओं से पूर्व प्राप्ति रसीद प्राप्त कर तत्संबंधी वचनबद्धता अंकित करते हुए पूरी राशि का पूर्व प्राप्ति रसीद यथास्थिति प्रधानाध्यापक/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी लेखा एवं योजना द्वारा विपत्र के साथ संलग्न किया जायेगा।

- राशि का वितरण विद्यालय/इंटर महाविद्यालय में शिविर आयोजित कर किया जाना है। शिविर आयोजन की तिथि का व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जाना है। शिविर का आयोजन विद्यालय/इंटर महाविद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्राचार्य द्वारा किया जायेगा।
- शिविर में पंचायती राज संस्थाओं के सदस्य, विधान मंडल सदस्य, लोक सभा सदस्य एवं विद्यालय/इंटर महाविद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों को आमंत्रित किया जाना है।
- राशि वितरण के पूर्व एक भुगतान पंजी (Disbursement Regester) संधारित किया जायगा जिसमें लाभांवितों की सूची यथा छात्रा का नाम, माता/पिता का नाम, दी जाने वाली राशि एवं प्राप्ति स्तम्भ की एक पंजी तैयार की जायेगी। राशि वितरण के समय राशि भुगतान तुरन्त बाद प्राप्ति रसीद प्राप्त की जायेगी। इस पंजी को संबंधित प्रधानाध्यापक अंकेक्षण आदि कार्य हेतु सुरक्षित रखेंगे।
- राशि वितरण कार्यक्रम की विडियोग्राफी करायी जायेगी। विडियोग्राफी इस प्रकार करायी जायेगी जिससे शिविर में उपस्थित जनप्रतिनिधि, सरकारी पदाधिकारी की जानकारी प्राप्त हो सके। साथ ही प्रत्येक छात्राओं को राशि भुगतान का विडियोग्राफी कराया जायेगा।
- किसी अन्य योजना के अन्तर्गत जिन छात्राओं को पोशाक उपलब्ध करायी गयी है वैसे छात्राओं को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाना है। संबंधित छात्राओं के माता–पिता से इस आश्य का घोषणा पत्र प्राप्त किया जाना है।
- योजना का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन जिला स्तर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा राज्य स्तर पर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) के द्वारा किया जाना है।
- वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए स्वीकृत्यादेश 9/पोशाक यो०–01/10(खण्ड)–49 दिनांक 15.10.12 के द्वारा निर्गत किया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2012–13 के आवंटनादेश ज्ञापांक 05/बी०2–97/2012/195 दिनांक 29.11.12 द्वारा निर्गत है।

30.